

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या-03/कृ०बजट-आवंटन-40/2013-
प्रेषक,

197 (आवंटन) क०, पटना, दिनांक 05-12-2013

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर/मुंगेर/रोहतास/जमुई/भोजपुर/बेगूसराय/नालन्दा/
खगड़िया/पटना/लखीसराय/कैमूर (भभूआ)/गया/नवादा/शेखपुरा/औरंगाबाद/जहानाबाद
/अरवल/सारण/सिवान/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/वैशाली/पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी
चम्पारण/सीतामढ़ी/शिवहर/भागलपुर/बांका/मधुबनी/समस्तीपुर/दरभंगा/सहरसा/
मधेपुरा/पूर्णिया/अररिया/किशनगंज/कटिहार/सुपौल/कृषि निदेशक, बिहार पटना।

विषय :

कृषि रोड़ मैप अंतर्गत सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्म्स योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार कृषि प्रबंधन सह प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति), पटना तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2013-14 में 10622.775 लाख रुपये (एक अरब छः करोड़ बाईस लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ रुपये) (केन्द्रांश-8547.228 लाख रु० तथा राज्यांश 2075.547 लाख रु०) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन तत्काल राज्यांश मद से कुल स्वीकृत ₹660.955 लाख (छः करोड़ साठ लाख पंचानबे हजार पाँच सौ रुपये) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए ₹6.615 लाख (छः लाख एकसठ हजार पाँच सौ रु०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹6,61,500 (छः लाख एकसठ हजार पाँच सौ रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय :

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-5828 दिनांक-27.11.2013 द्वारा कृषि रोड़ मैप अंतर्गत सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्म्स योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार कृषि प्रबंधन सह प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति), पटना तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2013-14 में 10622.775 लाख रुपये (एक अरब छः करोड़ बाईस लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ रुपये) (केन्द्रांश-8547.228 लाख रु० तथा राज्यांश 2075.547 लाख रु०) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन तत्काल राज्यांश मद से कुल स्वीकृत ₹660.955 लाख (छः करोड़ साठ लाख पंचानबे हजार पाँच सौ रुपये) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए ₹6.615 लाख (छः लाख एकसठ हजार पाँच सौ रु०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹6,61,500 (छः लाख एकसठ हजार पाँच सौ रु०) मात्र की राशि संलग्न विवरण के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹6,61,500 (छः लाख एकसठ हजार पाँच सौ रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग सं०-1-उपशीर्ष-0133-सपोर्ट-टू-स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्म्स, विपत्र कोड-P2401007960133, राज्य योजना, स्कीम कोड-AGR-5023, विषयशीर्ष-27 01-लघु कार्य अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2013-14 में उपबंधित राशि 25.00 लाख रु० से विकलनीय होगा।

3 यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-7857 वि० (2) दिनांक-31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4 इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5 व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

15/12/13

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-

197 (आवृत्त)

/कृ०, पटना दिनांक 05-12-2013

प्रेषित।

प्रतिलिपि-

महालेखाकार बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ

कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.

विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक

(15/05/13)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-

197 (आवृत्त)

/कृ०, पटना दिनांक- 05-12-2013

प्रतिलिपि-

विवरणी सहित वित्त विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम० बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/निदेशक, उद्यान बिहार पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना शाखा, (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.

विवरणी सहित उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

(15/05/13)

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्मस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष, 2013-14 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए विभागीय स्वीकृतादेश संख्या-5828 दिनांक-27.11.2013 के अनुसार राशि का आवंटन विवरणी।
(राशि रु० में)

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	विषय वस्तु विशेषण के लिए दिनांक- 01.04.2013 से 15.05.2013 तक का बकाए मानदेय हेतु स्वीकृत राशि	आवंटित राशि			कुल आवंटित राशि	केंद्रीय प्रायोजित योजना में प्राप्त केंद्राश के समतुल्य राज्यराश मद् से स्वीकृत राशि	आवंटित राशि			कुल आवंटित राशि	शत प्रतिशत राज्यराश मद् से स्वीकृत पद के विरुद्ध मुताबत हेतु स्वीकृत राशि	आवंटित राशि			कुल आवंटित राशि	P2401007960133 (6+11+16)
			P2401001090111	P2401007890105	P2401007960133			P2401001090111	P2401007890105	P2401007960133			P2401001090111	P2401007890105	P2401007960133		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
2	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
3	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
4	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
5	जिला कृषि पदाधिकारी, मोजपुर											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
6	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
7	जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
8	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
9	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
10	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
11	जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर (नमूना)											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
12	जिला कृषि पदाधिकारी, गया											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
13	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
14	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
15	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
16	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
17	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
18	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
19	जिला कृषि पदाधिकारी, सीवान											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
20	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
21	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
22	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर)											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
23	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोसिहारी)											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
24	जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण (बैतिया)											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
25	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
26	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
27	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
28	जिला कृषि पदाधिकारी, बांका											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
29	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
30	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
31	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
32	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
33	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
34	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णिया											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
35	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
36	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
37	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
38	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल											2,40,000	1,99,200	38,400	2,400	2,40,000	2,400
39	कृषि निदेशक, बिहार, पटना।	1,94,17,500	1,61,12,260	31,10,520	1,94,720	1,94,17,500	3,68,14,000	3,05,55,620	58,90,240	3,68,140	3,68,14,000	7,44,000	6,17,520	1,19,040	7,440	7,44,000	5,76,300
	कुल-	1,94,17,500	1,61,12,260	31,10,520	1,94,720	1,94,17,500	3,68,14,000	3,05,55,620	58,90,240	3,68,140	3,68,14,000	98,64,000	81,87,120	15,78,240	98,640	98,64,000	6,61,500

कुल-(छ: लाख एकसठ हजार पांच सौ रु० मात्र)

(15/05/14)

(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार पटना।